

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:प.3(102)नविवि / 3 / 2011

जयपुर,दिनांक: 16 JAN 2013

1. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राज. जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त) राजस्थान।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम (समस्त) राजस्थान।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, (समस्त) राजस्थान।
8. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका बङ्डल (समस्त) राजस्थान।

विषय:-“प्रशासन शहरो के संग अभियान-2012” आयोजित करने बाबत् दिशा
निर्देश।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में ‘प्रशासन शहरो के संग अभियान’ के लिए विभागीय पत्र क्रमांक प.3(54)नविवि / 3 / 2011 दिनांक 17 अक्टूबर 2012 द्वारा जारी दिशा निर्देश में अभियान के दौरान नगरीय निकायों को प्रदत्त शक्तियों के तहत यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रदत्त शक्तियां केवल आवासीय योजनाओं के संदर्भ में प्रभावी मानी जायेगी, रिसोर्ट, फार्म हाउस, मोटल, औद्योगिक व अन्य प्रयोजनार्थ नियमन के प्रकरणों के लिए प्रभावी नहीं हैं।

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा. शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीमण/राज्यमंत्रीमण (समस्त) (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग को छोड़ कर)
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वा. शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
7. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, उद्योग/राजस्व/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/सार्वजनिक निर्माण/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/महिला एवं बाल विकास विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव.....।
10. निजी सचिव, शासन सचिव,.....। जयपुर।
11. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
12. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान को भेजकर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे एवं राज्य सरकार को तदनुसार अद्वगत भी करावे।
13. आयुक्त, राजस्थान आवासन बङ्डल, जयपुर।
14. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका।
15. शासन उप सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नविवि।
16. रक्षित पत्रावली।

(आर.के.पाराक)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय